भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1046

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

भू-अधिग्रहण के लिए मुआवजा

1046. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछलीशहर के लगभग 20 गांवों के 4000 किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 की विस्तारण परियोजना के लिए किया गया था, को अभी तक उचित मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि किसानों ने उन्हें उचित मुआवजे का भुगतान न किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, एनएच-233 हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए उन्हें उचित मुआवजा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी

(क) से (ग) जौनपुर जिले (मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले) के लगभग 20 गांवों के ऐसे किसी भी किसान को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-233 (पैकेज-III) के घाघरा पुल से वाराणसी खंड को चार लेन का बनाने से प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है। भूमि मालिक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के विपरीत औसत के तरीके के आधार पर अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

****